



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2013

क्रमांक एफ 8-3/2013/1-सूअप्र : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा अधिसूचना क्रमांक 2-10/2006/1/6, दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 द्वारा बनाए गए "छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं प्रभार) नियम, 2007" के नियम-4 को विलोपित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(के.आर.मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

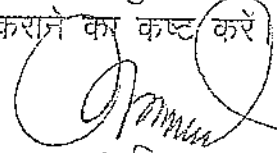
पृ.क्रमांक एफ 8-3/2013/1-सूअप्र.

नया रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त सचिव, केन्द्र शासन, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली,
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
3. माननीय राज्यपाल महोदय के उप सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
5. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
7. समस्त विशेष सहायक/मिज सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव,
8. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर,

10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली,
11. सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
12. समस्त विभागाध्यक्ष,
13. समस्त कलेक्टर,
14. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
15. संचालक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर,
16. सचिव, राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
17. नियंत्रक क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस निवेदन के साथ कि कृपया
अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में करना सुनिश्चित कर, मुद्रित
अधिसूचना की 250 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



सचिव

14/11/2013

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग